प्रेस नोट
दिनांक: 18.09.2025
जनपद: गोण्डा

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद

कार्यवाही:

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब तस्कर विश्वनाथ चौपाल पुत्र रामवृक्ष चौपाल उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 हरिपुर, पोस्ट सिसो, थाना मबी, जनपद दरभंगा, बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब 24 कैन बीयर, 40 शीशी 8PM अंग्रेजी शराब 180 ML व 05 शीशी 8PM अंग्रेजी शराब 375 ML बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 731/2025, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक 18.09.2025 को उपनिरीक्षक विपुल कुमार पाण्डेय मय फोर्स रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर ट्रेन से बिहार जा रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम रेलवे स्टेशन पहुँची और टिकट काउंटर के सामने सड़क पर संदिग्ध व्यक्ति विश्वनाथ चौपाल को रोककर तलाशी ली गई। उसके पास से 8PM अंग्रेजी शराब (375 ML) की 05 शीशियां (काँच की), 8PM Gold Pocket Pack (180 ML) के 40 पैक (प्लास्टिक के डिब्बों में), Kingfisher Extra Special Strong Beer (500 ML) की 24 कैन बरामद हुई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विश्वनाथ चौपाल पुत्र रामवृक्ष चौपाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 हरिपुर, पोस्ट सिसो, थाना मबी, जनपद दरभंगा (बिहार)।

पंजीकृत अभियोग

01-मुकदमा अपराध संख्या 731/2025, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1. 05 अदद 375 ML काँच की शीशियां 8PM अंग्रेजी शराब
2. 40 अदद 180 ML प्लास्टिक डिब्बे में 8PM Gold Pocket Pack
3. 24 अदद कैन Kingfisher Extra Special Strong Beer (500 ML)

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय मय हमराही
2. हे0कां0 इन्दासन
3. कां0 प्रभाकर
4. कां0 संदीप चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाँक 18.09.2025
जनपद – गोण्डा

- **थाना वजीरगंज व थाना परसपुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की 02 सूचनाएं**
- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**
- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: पुलिस अधीक्षक गोण्डा**

झूठी सूचनाओं का विवरण-

पहली सूचना- वादिनी श्रीमती सुग़राबानो पत्नी रमजान अली नि० खानपुर गोरथनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा आज दिनांक 18.09.2025 को यूपी 112 पर सूचना दी गई की दिनांक 16.09.25 को चोरों द्वारा उसके घर में घुसकर गहने व नगदी चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज व थानाध्यक्ष वजीरगंज मय पुलिस बल के तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस बल द्वारा जब वादिनी के मोबाइल की जाँच की तो उसमें एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह अपने पति को यह बता रही है कि "तुम तनाव मत लेना मैंने पैसे व गहने अपनी मां को दे दिए हैं तथा उन गहनों को वह किसी दुकान से बदलवा लेंगे।" ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सुगरा बानो के विरुद्ध झूठी सूचना देने के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी सूचना- दिनांक 17.09.2025 को प्रथम पक्ष अरुण निषाद पुत्र देवी निषाद नि0 बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा चांदी का कुछ सामान बेचने चौकी पसका क्षेत्र में ज्वैलर्स की दुकान पर गया था, चांदी को चेक कराया तो ज्वैलर्स आकाश सोनी पुत्र कालिका सोनी नि0 वृन्दावन खैरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा ने गहने अपने पास रखकर अरुण को बताया कि ये गहने चांदी के नहीं हैं बल्कि नकली हैं, और ज्वैलर्स ने हल्ला कर दिया कि अरुण चोर है, जिसके बाद मार्केट में लोग इकठ्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अरुण को चौकी पर ले गयी। घटना की जाँच की गई कि उक्त चाँदी का सामान अरुण निषाद का ही है या नहीं, तो ज्ञात हुआ कि चाँदी का उक्त सामान शिव कुमार निषाद पुत्र मंगल नि0 बिहारी बैसपुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर का है जो शिवकुमार से लेकर अरुण उक्त ज्वैलर्स के यहाँ गिरवी रखने गया था। घटना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों द्वारा कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित निवेदन किया गया। तथा द्वितीय पक्ष आकाश सोनी द्वारा प्रथम पक्ष अरुण निषाद का सामान वापस कराया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

प्रेस नोट
दिनाँक 18.09.2025
जनपद – गोण्डा

- **थाना वजीरगंज व थाना परसपुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की 02 सूचनाएं**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: पुलिस अधीक्षक गोण्डा**

झूठी सूचनाओं का विवरण-

पहली सूचना- वादी हासिम अली पुत्र टुल्ला नि० खानपुर गोरथनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 14.09.25 को यूपी 112 पर सूचना दी गई की चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर गहने व नगदी चोरी कर ले गए हैं। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज व थानाध्यक्ष वजीरगंज मय पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की गई। दिनांक 16.09.25 को उसके ससुर द्वारा बताया गया कि उसकी बहू द्वारा उसे चोरी की गलत सूचना दे दी गई थी, जिस कारण उसके द्वारा 112 पर सूचना दी गई थी। जबकि उसकी बहू ने गहने अपनी मां को दे दिए हैं। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा बहू के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी सूचना- दिनांक 17.09.2025 को प्रथम पक्ष अरुण निषाद पुत्र देवी निषाद नि0 बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा चांदी का कुछ सामान बेचने चौकी पसका क्षेत्र में ज्वैलर्स की दुकान पर गया था, चांदी को चेक कराया तो ज्वैलर्स आकाश सोनी पुत्र कालिका सोनी नि0 वृन्दावन खैरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा ने गहने अपने पास रखकर अरुण को बताया कि ये गहने चांदी के नहीं हैं बल्कि नकली हैं, और ज्वैलर्स ने हल्ला कर दिया कि अरुण चोर है, जिसके बाद मार्केट में लोग इकठ्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अरुण को चौकी पर ले गयी। घटना की जाँच की गई कि उक्त चाँदी का सामान अरुण निषाद का ही है या नहीं, तो ज्ञात हुआ कि चाँदी का उक्त सामान शिव कुमार निषाद पुत्र मंगल नि0 बिहारी बैसपुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर का है जो शिवकुमार से लेकर अरुण उक्त ज्वैलर्स के यहाँ गिरवी रखने गया था। घटना के सम्बन्ध में दोनो पक्षों द्वारा कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित निवेदन किया गया। तथा द्वितीय पक्ष आकाश सोनी द्वारा प्रथम पक्ष अरुण निषाद का सामान वापस कराया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.09.2025

बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पुलिस द्वारा ड्रोन को किया गया जब्त -

आज दिनांक 18.09.2025 समय करीब शाम 6 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि सेमरा चौकी अंतर्गत माधवपुरम कॉलोनी क्षेत्र में ड्रोन उड़ रहा हैं, इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी मौके पर पहुँचे और **ड्रोन सीज** किया गया एवं ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विप्लव उपाध्याय पुत्र विश्वजीत उपाध्याय नि0 M 37 रेलवे मेडिकल कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा बताया। उसके द्वारा बताया गया कि माधवपुरम कालोनी स्थित अपने प्लाट पर निर्माण कार्य हो रहा है, वह ड्रोन द्वारा उसी का वीडियो बना रहा था। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि वह बेंगलुरु स्थित कंपनी में काम करता है और ड्रोन से वीडियो बनाना उसका पेशा है। वह अभी बैंगलोर से वापस अपने घर गोण्डा आया है इसलिए उसे यहां की वर्तमान स्थिति तथा फैली हुई अफवाहो के विषय में कोई जानकारी नहीं थी और वह पुलिस को बिना कोई सूचना दिये ड्रोन उड़ाकर अपने प्लॉट पर हो रहे काम का वीडियो एवं फोटो बना रहा था। उसने पुलिस को बिना सूचना दिये ड्रोन उड़ाने की गलती स्वीकार की । विप्लब से ड्रोन संबंधी कागजात, कंपनी लेटर एवं आईडी चेक करने के उपरांत ड्रोन रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा भरवाया गया तथा ड्रोन उड़ाने से पूर्व स्थानीय थाने/ चौकी पर सूचना देने हेतु हिदायत किया गया। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाये जाने पर ड्रोन को ज़ब्त किया गया हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.09.2025

अफवाह फैलाने के उद्देश्य से उड़ाया जा रहा खिलौना ड्रोन पुलिस के कब्जे में-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में प्रतिदिन जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे पैदल गश्त एवं सघन चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 17.09.2025 को थाना करनैलगंज क्षेत्र अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज द्वारा पुलिस बल के साथ सकरौरा पश्चिम में पैदल गश्त की जा रही थी, तभी पुलिस बल ने देखा कि वहां एक संदिग्ध ड्रोन उड़ा रहा है। पुलिस बल जब मौके पर पहुंची तो ड्रोन उड़ा रहा व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। रिमोट की रेंज से बाहर होने पर ड्रोन नीचे गिर गया। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह खिलौना ड्रोन था, जिसे अफवाह फैलाने के उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था। पुलिस द्वारा ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है तथा इस प्रकार माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।